

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प 1(16)उद्योग/ग्रुप-2/2018

जयपुर, दिनांक 14/02/2022

—: आज्ञा :-

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा क्रमांक प 1(16)उद्योग/ग्रुप-2/2018 दिनांक 25.10.2020 में आशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 20 में निहित प्रावधान के अनुसरण में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों के निस्तारण हेतु आयुक्तालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निम्नांकित अतिरिक्त निदेशक, उद्योग को संभाग स्तरीय सुविधा परिषद में निम्नानुसार मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	सुविधा परिषद
1.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रथम)	सुविधा परिषद, मुख्यालय-द्वितीय सुविधा परिषद, उदयपुर संभाग सुविधा परिषद, भरतपुर संभाग
2.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (द्वितीय)	सुविधा परिषद, जोधपुर संभाग सुविधा परिषद, कोटा संभाग सुविधा परिषद, जयपुर संभाग
3.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (तृतीय)	सुविधा परिषद, बीकानेर संभाग सुविधा परिषद, अजमेर संभाग

राज्यपाल की आज्ञा से,

(केसरलाल मीणा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीया उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई।
7. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आज्ञा को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने की व्यवस्था करावें।
9. अतिरिक्त निदेशक, प्रथम/द्वितीय/तृतीय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राज., जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त वित्तीय सलाहकार, उद्योग (पीपीसी) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली

अशोक

(अशोक कुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव